गोर[illegible]ाथ, भा.प्र.से.
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया

बिहार सरकार

दूरभाष :– 06454– 243199 (O)
06454– 242246(R)
मोबाईल– 9473191432
ई–मेल:– divcom-purnea-bih@nic.in

पत्रांक: 130

प्रेषक,

आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पूर्णिया / कटिहार / अररिया / किशनगंज।

विषय :– **भूमि विवाद से संबंधित मामलों के निष्पादन के संबंध में।**

पूर्णिया,दिनांक 14 / 06 / 2022

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि लोक शिकायत एवं जन शिकायत के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि भू–विवाद के मामले काफी बढ़ते जा रहे हैं। जिसका मूल कारण यह है कि राजस्व कर्मचारी द्वारा स्थानीय दबंग, प्रभावशाली एवं धन सम्पन्न व्यक्ति के प्रभाव में आकर जमाबंदी पंजी में छेड़छाड़ कर गलत जमाबंदी कायम कर दी जाती है, ऐसे में जमाबंदी रद्द कराने हेतु फिर अपर समाहर्त्ता के समक्ष अपील वाद दायर करना पड़ता है। साथ ही अनावश्यक विवाद स्थानीय स्तर पर बढ़ जाते हैं, जिसके कारण विधि–व्यवस्था की भी समस्या उत्पन्न होती है। अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष द्वारा ऐसे मामलों को निपटाने हेतु सप्ताहिक बैठक भी की जाती है पर उक्त बैठकों में ठोस तरीके से भू–विवाद का निपटारा नहीं हो पा रहा है। इसे निपटाने हेतु अनुमण्डल स्तर पर अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी को पाक्षिक रूप से एवं जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक मासिक रूप से समीक्षा कर कार्रवाई करते हैं पर उस स्तर पर भी ठोस कार्रवाई नहीं किये जाने के कारण आयुक्त कार्यालय में परिवादियों की संख्या में उत्तरोतर वृद्धि हो रही है। राज्य सरकार द्वारा भी भू–विवादों को निपटाने हेतु समय–समय पर चिंता व्यक्त की गई है।

2. उपर्युक्त स्थिति में सरकार के द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों के आलोक में भू–विवाद के मामलों को त्वरित गति से निपटाने हेतु निम्नांकित निदेश दिए जाते है :–

(i) सभी अनुमंडल पदाधिकारी को अपने अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत भू–विवाद को निपटारा किए जाने हेतु नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है जो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तथा

संबंधित अंचल के अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष के सहयोग से भू–विवाद के मामलों का निपटारा करेंगे।

(ii) यदि किसी कर्मचारी के द्वारा जमाबंदी पंजी में छेड़छाड़ के कारण भू–विवाद उत्पन्न हुआ है तो ऐसे राजस्व कर्मी को चिह्नित कर उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करेंगे तथा आवश्यकतानुसार धोखाधड़ी का मामला पाये जाने पर उनके विरूद्ध प्राथिमिकी भी दर्ज करेंगे। यदि ऐसे मामले में अंचलाधिकारी की संलिप्तता पायी जाती है तो उनके विरूद्ध भी आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक कार्रवाई हेतु सक्षम प्राधिकार को जिला पदाधिकारी के माध्यम से प्रेषित करेंगे।

(iii) भू–विवाद संबंधी लोक शिकायत अधिनियम के तहत अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा दिये गये निर्णयों के अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

(iv) संबंधित जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक भू–विवाद के मामलों की मासिक समीक्षा किया करेंगे, जिसमें सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा किये गये कार्यों की जानकारी प्राप्त करेंगे तथा उत्पन्न समस्याओं का निदान करने हेतु निर्णय लेंगे।

(v) भू–विवाद संबंधी मामलों की मासिक समीक्षा के बैठक की कार्यवाही प्रत्येक माह अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित की जाएगी।

3. अनुरोध है कि उपर्युक्त दिये गये निदशों के अनुरूप कार्रवाई की जाय एवं कृत कार्रवाई से प्रत्येक माह अघोहस्ताक्षरी को अवगत कराने की कृपा की जाय।

13/6/22

आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांकः 130 / पूर्णिया, दिनांक 14 / 06 / 2022.

प्रतिलिपिः– 1. पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया / कटिहार / अररिया / किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी अनुमंडल पदाधिकारी / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पूर्णिया / कटिहार / अररिया / किशनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

3. सभी अंचलाधिकारी / थानाध्यक्ष, पूर्णिया / कटिहार / अररिया / किशनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

13/6/22

आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।